न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश कुनकुरी जिला–जशपुर (छ0ग0) के व्यवहार वाद क्रमांक 1ए/2018 खिरोधर यादव विरूद्ध कामेश्वर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24/10/2018 की सत्यप्रतिलिपि।

24/10/2018

इस प्रकरण को न्यायालय द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था जिसमें सुनवाई के उपरांत मध्यस्थ श्री मुकेश कुमार अम्बस्ट द्वारा उभय पक्षकारों के मध्य समझौता सफलतापूर्वक हो जाना एवं इस संदर्भ में अपना प्रतिवेदन दिनांक 24/10/2018 एवं समझौता पत्र दिनांक 22/10/2018 की मूल प्रति को आज प्रस्तुत किया है हालांकि न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु दिनांक 29/10/2018 नियत किया गया है परंतु इस स्तर पर समस्त उभय पक्षकारगण अपने–अपने अधिवक्ताओं वादी खिरोधर यादव सहित श्री ई0अहमद अधिवक्ता तथा प्रतिवादी राजेन्द्र यादव, प्रेमानंद यादव, जगरनाथ यादव, जगरनाथ, लीलाम्बर, खेमावती, बती बाई उर्फ चन्द्रावती, नेत्रमनी सहित श्री जे0आर0 यादव उपस्थित हैं। तथा उनके द्वारा आज ही प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु आग्रह किया है अतः उनके आग्रह को सुनकर प्रकरण को सुनवाई हेतु लिया गया तथा मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समझौता पत्र तथा समस्त पक्षकारों को सुने जाने के उपरांत न्यायालय द्वारा आज उपस्थित वादी खिरोधर यादव एवं प्रतिवादी राजेन्द्र यादव, प्रेमानंद यादव, जगरनाथ यादव, जगरनाथ, लीलाम्बर, खेमावती, बती बाई उर्फ चन्द्रावती, नेत्रमनी के न्यायालयीन कथन लेखबद्ध किये गये जिनमें उनके द्वारा मध्यस्थ के समक्ष बिना किसी डर, दबाव एवं अपनी

स्वेच्छा से दोनों के मध्य आपसी राजीनामा से समझौता पत्र पर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी ड़र, दबाव के हस्ताक्षर करते हुए समझौता पत्र के अनुसार प्रकरण में डिक्री पारित करने का आग्रह किया है। न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों एवं उनके विद्धान अधिवक्ताओं एवं मध्यस्थ श्री एम0के0 अम्बस्ट को सुने जाने के उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के समझौता बयान को दृष्टिगत रखते हुए समझोता पत्र को विधि अनुसार बिना किसी डर, दबाव एवं स्वेच्छापूर्वक पाये जाने से समझौता पत्र के आधार पर प्रकरण में आज्ञप्ति पारित किया जाना उचित पाया है। अतः इस प्रकरण में प्रस्तुत समझौता पत्र एवं राजीनामा बयानों के आधारों पर आज्ञप्ति तैयार किया जावे। इस प्रकरण में प्रस्तुत समझौता पत्र तथा प्रकरण में लेखबद्ध किये गये उभय पक्षकारों के समझौता बयान डिक्री के अभिन्न अंग होंगे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर जिला अभिलेखागार में संचित किया जावे।

सही / –
(आनंद प्रकाश वारियाल)
अपर जिला न्यायाधीश कुनकुरी
जिला–जशपुर (छ0ग0)